

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 25)

उपखण्ड, अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)
 धर्मवीर सिंह वनाम महिपाल सिंह
 दावा नं० 31 रान 54-2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुए

54-18 नाम पत्रावली पेश हुई पक्षी
 पक्षीगण उपस्थित साथी दावा दर्ज
 नमिस्तर ही प्रतिपक्षीगण के सम्मन
 जारी कर बाद उष्वी पत्रावली दिनांक
 14-6-18 के पेश ही


 उपखण्ड अधिकारी
 नीमराना (अलवर)


न्याय आपके द्वार-2018

लोक अदालत 2018 अधिनियम होने से इन पत्रावली की
 समस्त राजस्व वाले को इकट्ठा किया। तदनुसार
 पत्रावली पर आगामी दिनांक 14-6-18 को पेश हो
 अतः उक्त पत्रावली नियमित कोर्ट मुख्यालय अदालत
 केन्द्र पर दिनांक 14-6-18 को पेश हो


 उपखण्ड अधिकारी
 नीमराना (अलवर)

न्याय आपके द्वार-2018

पत्रावली को लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम
 पंचायत मुख्यालय के अदालत सेवा केन्द्र पर पेश
 पर पेश हुआ। प्रतिवादी/अपवादी
 310/46 कारण से लोक अदालत की
 मायना से चारुपट्टिक सहमति नहीं गनी। कैम्प कोर्ट में
 पत्रावली की सुनवाई की गई। गतानुसार कार्यवाही
 हेतु पत्रावली दिनांक 14-6-18 को पेश हो


 उपखण्ड अधिकारी
 नीमराना (अलवर)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)


धर्मवीर सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कांकर तह0 नीमराना जिला अलवर वगै0
बनाम

महिपाल सिंह पुत्र मुरलीसिंह पौत्र जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कांकर तह0 नीमराना जिला अलवर
वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट न0 41 सन 05.04.2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|----------------|------------------------------------|---|
|----------------|------------------------------------|---|

05.04.2018 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रकरण एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात प्रार्थी के पक्ष में सुविधा संतुलन, अपूर्णीय क्षति आदि होना पृथम दृष्टया प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जबाब पेश करने तक अस्थायी निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1330, 1334 कुल किता 02 वाके ग्राम कांकर तह0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। वास्ते तलबी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड तामिल जारी हो। रजिस्टर्ड तामिल नही होने की दशा में स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 14.06.2018 को पेश हो।


उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज

तारीख हुकूम

12-1-23

आज यह पत्रावली पेश हुई। कार सच नीमराना द्वारा कार्य स्थान किये जाने का इराफन पेश किया है। पत्रावली पूर्व प्रादेशिकानुसार अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15-3-23 को पेश हो।

15-3-23

आज यह पत्रावली पेश हुई। कार सच नीमराना द्वारा कार्य स्थान किये जाने का इराफन पेश किया है। पत्रावली पूर्व प्रादेशिकानुसार अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19-7-23 को पेश हो।

19-7-23

आज यह पत्रावली पेश हुई। कार सच नीमराना द्वारा कार्य स्थान किये जाने का इराफन पेश किया है। पत्रावली पूर्व प्रादेशिकानुसार अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक 7-8-23 को पेश हो।

1-8-23

आज यह पत्रावली पेश हुई। कार सच नीमराना द्वारा कार्य स्थान किये जाने का इराफन पेश किया है। पत्रावली पूर्व प्रादेशिकानुसार अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14-9-23 को पेश हो।

17-8-23

आज यह पत्रावली पेश हुई। कार सच नीमराना द्वारा कार्य स्थान किये जाने का इराफन पेश किया है। पत्रावली पूर्व प्रादेशिकानुसार अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17-8-23 को पेश हो।

Not Press
Kumar
17/8/23
(Nopendur/Kumar)

उपस्थित अधिकारी
नीमराना (अलपर) राज,